

महादलित विकास योजना

महादलित विकास योजना के अन्तर्गत वासभूमि रहित महादलित परिवारों को प्रति परिवार 03 डिसमिल वास भूमि उपलब्ध कराने की योजना वित्तीय वर्ष 2009-10 से राज्य में लागू है।

इस योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम वासभूमि रहित महादलित परिवारों को गैरमजरूआ मालिक/खास, गैरमजरूआ आम तथा बी0 पी0 पी0 एच 0 टी 0 एकट के तहत बन्दोबस्ती द्वारा वासभूमि उपलब्ध कराया जाना है। जिन वासभूमि रहित परिवारों को उपर्युक्त श्रेणी के भूमि से आच्छादित नहीं किया जा सकता है , उन्हें रैयती भूमि की क्रय नीति के तहत 20000/- रूपए की वित्तीय अधिसीमा के अधीन प्रति परिवार 03 डिसमिल रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराया जाना है।

अद्यतन सर्वेक्षण के अनुसार कुल 220729 वासरहित महादलित परिवार हैं, जिन्हें इस योजना के तहत वासभूमि उपलब्ध कराया जाना है।

इस योजना के अंतर्गत परिवार के महिलाओं को वास भूमि उपलब्ध कराई जाती है, अगर परिवार में महिला न हो तो ही पुरुष को वास भूमि उपलब्ध कराई जाती है |